

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1422/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० राजेश सिंह गुन्जियाल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1229/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, खटीना, उधम सिंह नगर	उप जिला चिकित्सालय, धारचूला, पिथौरागढ़	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संशोधित अंगितेजों से यह स्थापित हुआ है कि वर्तमान कार्यस्थल, उप जिला चिकित्सालय, धारचूला में दिनांक 16 जून, 2023 से कार्यरत हैं, जिस कारण वर्तमान कार्यस्थल पर धारा-10(क) के अन्तर्गत 03 वर्ष से कम अवधि से कार्यरत हैं। अतएव उनके आदेश में अंगिक संशोधन करते हुए यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CAOI
02/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम-डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल:-dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026/21987

देहरादून: दिनांक- 01 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय आदेश संख्या-1422/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय खटीमा, उधमसिंहनगर।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय धारचूला, पिथौरागढ़।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिंहनगर।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
9. गार्ड फाईल।

(प्रति-चन्त)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1432/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पीओएमओएचओएसओ संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यस्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० शशिवाला वासन, नेत्र सर्जन	1136/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी	स्वास्थ्य महानिदेशालय, देहरादून	धारा-22(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन में धारा-17(घ)(3) के अन्तर्गत छूट का अनुरोध अपनी पुत्री के सम्बन्ध में जारी चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। वर्तमान कार्यस्थल पर 05 वर्ष से अधिक की अवधि को देखते हुए प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं है, परन्तु धारा-17(घ)(3) के अन्तर्गत विचार करते हुए विकल्प के आधार पर संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CAOI
04/7/2026

कार्यालय-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0- गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल- dghealth.uttarakhand@gmail.com,

दूरभाष-0135-2608763, फ़ैक्स-0135-2608746

पत्र संख्या-1प/रा0पु0/7/2026/21975

दिनांक- 02 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय/स्थानान्तरण आदेश संख्या-1432/XXVIII-1/01(04)2026 देहरादून दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. स्टॉफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
5. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।
9. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
10. गार्ड फाईल।

(प्रीति फन्त)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1431 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पीओएमओएचओएसओ सेवकों के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महीन्द्र सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० यशपाल सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ	1321/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	साओस्कोफो पावो, पौड़ी गढ़वाल	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।	धारा-22(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन में धारा-17(2)(घ) के अन्तर्गत छूट का अनुरोध किया गया है। उनके प्रत्यावेदन के अन्तर्गत पर संघ में वर्तमान महासचिव के पद के आलोक में धारा-17(2)(घ) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CAOI
02/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम-डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल:-dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026/21985

देहरादून दिनांक- 01 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :अनुभाग-1, के कार्यालय आदेश संख्या-1431/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
5. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय हरिद्वार।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

(प्रीति चन्त)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1433 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० प्रेम सिंह मेहरवाल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1214/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी	धारा-22(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन में धारा-13(2) के अन्तर्गत दुरिग में रहने का अनुरोध किया गया है। धारा-10(क) में निर्धारित समय सीमा से अधिक एक स्थल पर कार्य करने के कारण अनुरोध स्वीकार्य नहीं है, परन्तु उनके द्वारा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी के पद पर कार्य करने के लिए दी गयी सहमति के क्रम में संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

CAOI
02/7/2026

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0- गुजराड़ा, सहस्त्रधार रोड़, देहरादून।

ई-मेल- dghealth.uttarakhand@gmail.com,

दूरभाष-0135-2608763, फ़ैक्स-0135-2608746

पत्र संख्या-1प/रा0पु0/7/2026/21977

दिनांक-02 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय/स्थानान्तरण आदेश संख्या-1433/XXVIII-1/01(04)2026 देहरादून दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/उत्तरकाशी।
6. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1430/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जानें की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यलय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० रीता मण्डारी, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1286/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	आईसीआई उप जिला चिकित्सालय, रुड़की, हरिद्वार	प्रा०रवा०को० मालदेवता, देहरादून।	धारा-22(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन में धारा-7(प)(3) के अन्तर्गत छूट का अनुरोध अपने पिता के सम्बन्ध में ज्योति चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। निर्धारित अवधि से अधिक अवधि से एक स्थल पर कार्य करने के कारण अनुरोध अस्वीकार करते हुए तथा धारा-7(प)(3) के अन्तर्गत छूट को स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कौषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

02/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम-डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल:-dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026/21983

देहरादून: दिनांक- 01 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय आदेश संख्या-1430/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

(प्रीति कन्त)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1429 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

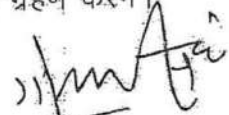
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में प्री0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यस्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० तुलसी बिष्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ	1187/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	सा0 स्वास्थ्य केन्द्र, मोरी, उत्तरकाशी।	जिला चिकित्सालय, देहरादून।	धारा-22(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन में धारा-7(घ)(3) के अन्तर्गत छूट का अनुरोध अपने पिता (ससुर) के सम्बन्ध में जारी चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। उनके वर्तमान कार्यस्थल में वर्ष 2024 से कार्यरत होने के दृष्टिगत संशोधित आदेश निर्गत किया जा रहा है।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CAOI
02/7/2026

कार्यालय-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0- गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल- dghealth.uttarakhand@gmail.com,

दूरभाष-0135-2608763, फ़ैक्स-0135-2608746

पत्र संख्या-1प/रा0पु0/7/2026/ 21973

दिनांक- 02 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय/स्थानान्तरण आदेश संख्या-1429/XXVIII-1/01(04)2026 देहरादून दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
6. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

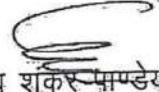
(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1428/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

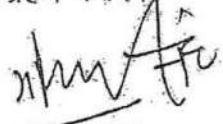
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० सुब्रत अरोड़ा, नेत्र सर्जन	1250/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर।	जिला चिकित्सालय, देहरादून (नेत्र चिकित्सक)	धारा-22(4) के तहत धारा-13(3) के अन्तर्गत दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए जिला चिकित्सालय, देहरादून (नेत्र चिकित्सक) का पद रिक्त होने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शर्मा मण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CAOI
02/7/2026

कार्यालय-महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0- गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई-मेल- dghealth.uttarakhand@gmail.com,

दूरभाष-0135-2608713, फ़ैक्स-0135-2608746

पत्र संख्या-1प/रा0पु0/7/2026/21979

दिनांक-02 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय/स्थानान्तरण आदेश संख्या-1428/XXVIII-1/01(04)2026 देहरादून दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायु मण्डल, नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंह नगर/देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर/देहरादून।
6. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देहरादून/रुद्रपुर, उधमसिंह नगर।
7. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

(प्रीति पन्त)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1427/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01, जुलाई, 2026
आदेश

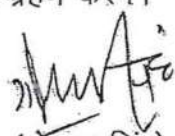
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पीओएमओएचओएसओ संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० अल्पना खरे, चिकित्साधिकारी	1322/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, श्रीनगर	राज्यपाल महोदय (देहरादून)	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा धारा-22(4) के अन्तर्गत धारा-7(घ)(1 एवं 3) संपादित धारा-13(3) के अन्तर्गत अनुरोध किया गया है, परन्तु धारा-7(क) एवं (ख) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं हैं, परन्तु चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर धारा-7(घ)(3) संपादित धारा-13(3) पर बच्चे के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बन्धित चिकित्साधिकारी दम्पतिद्वय के अधीन अनुरोध पर विचार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- गार्ड फाईल।


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CAOT

02/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
ग्राम-डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल:-dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026/21995

देहरादून: दिनांक- 01 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय आदेश संख्या-1427/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार।
5. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय हरिद्वार।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
9. गार्ड फाईल।

(प्रती पञ्ज)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1426/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डॉ० संदीप निगम, बाल रोग विशेषज्ञ	1365/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	स्वास्थ्य महानिदेशालय, देहरादून (स्टोर इंचार्ज)	उप जिला चिकित्सालय, प्रेननगर (देहरादून)	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा धारा-22(4) के अन्तर्गत धारा-7(घ)(1एफ3) संप्रति धारा-13(3) के अन्तर्गत अनुरोध किया गया है, परन्तु धारा-7(क) एवं (ख) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं हैं, परन्तु चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर धारा-7(घ)(3) संप्रति धारा-13(3) पर बर्च के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बन्धित चिकित्साधिकारी दम्पतिद्वय के अधीन अनुरोध पर विचार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

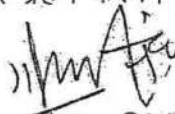

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

CAOI

02/7/2026


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
ग्राम-डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्राधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल:-dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026/21981

देहरादून: दिनांक- 02 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय आदेश संख्या-1426/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. आहरण वितरण अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
6. स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय हरिद्वार।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर, देहरादून।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
10. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
11. गार्ड फाईल।


(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 1425/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोउल्लिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डॉ० रैलेन्द्र कुमार द्विवेदी, रेडियोलॉजिस्ट	1205/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, रुड़की	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, रुद्रप्रयाग। (वरिष्ठ चिकित्साधिकारी)	धारा-22(4) के अन्तर्गत दिये गये प्रत्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग हेतु अनुरोध धारा-13(2) के अन्तर्गत पोषणीय न होने के कारण मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग के लिए दिये गये विकल्प को रिक्त पद होने के आलोक में स्वीकार करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

CAOI
02/7/2026

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम-डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल:-dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2308763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026/21993

देहरादून: दिनांक- 02 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय आदेश संख्या-1425/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि नेम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

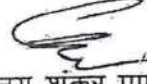
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय रुड़की, हरिद्वार।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
9. गार्ड फाईल।

(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1424/XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

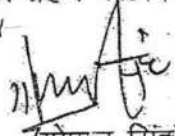
वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए, निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा0 मुकेश कुटियाल, चिकित्साधिकारी ग्रेड-1	1392/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	जिला चिकित्सालय, नैनीताल	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ (चिकित्साधिकारी)	धारा-22(4) के अन्तर्गत दिये गये प्रत्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ हेतु अनुरोध स्वीकार करते हुए धारा-13(2) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।


(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।


(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CAOI
14
02/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
ग्राम-डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल:-dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026/21991

देहरादून: दिनांक- 01 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय आदेश संख्या-1424/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
5. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।
6. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय नैनीताल।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
9. गार्ड फाईल।

(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1423 /XXVIII-1/01(04)2026
देहरादून: दिनांक 01 जुलाई, 2026
आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग-1 में शासन स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के आधार पर जनहित में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को स्थानान्तरित किया गया था, जिसके क्रम में निम्नलिखित चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन पर अधिनियम की अधोलिखित धाराओं पर विचारोपरान्त आदेश को संशोधित करते हुए निम्न तालिका में अंकित कार्यस्थल पर स्थानान्तरित किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	आदेश संख्या	स्थानान्तरणाधीन कार्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
डा० ललित भट्ट, चिकित्साधिकारी ग्रेड-1	1381/XXVIII-1/01(04)2026, 29-06-2026	उप जिला चिकित्सालय, रामनगर, नैनीताल	जिला चिकित्सालय, विधौरागढ़ (चिकित्साधिकारी)	धारा-22(4) के अन्तर्गत दिये गये प्रत्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त जिला चिकित्सालय विधौरागढ़ में रिक्त पद के आलोक में अनुरोध स्वीकार करते हुए धारा-13(2) के अन्तर्गत संशोधित आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तत्काल वर्तमान पदस्थापना/तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
9. गार्ड फाईल।

(गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

CAOI
02/7/2026

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम-डाण्डा लखोण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल:-dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 1प/रा0पु0/7/2026/21989

देहरादून: दिनांक- 01 जुलाई, 2026

उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के कार्यालय आदेश संख्या-1423/XXVIII-1/01(04)2026, दिनांक 01 जुलाई, 2026 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
5. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय रामनगर, नैनीताल।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
9. गार्ड फाईल।

(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)